मध्य प्रदेश शासन

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

फोन 0755–2550095, 2551486–87 फैक्स 2550094

क्रमांक 6127 / NR-3/Tech / 2010 भोपाल, दिनांक 17/06/2010

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला – सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं दतिया।

विषयः महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. की कपिलधारा उपयोजना के तहत निर्मित कूपों के हितग्राहियों को सिंचाई हेतु पानी के उद्वहन के लिये बुंदेलखण्ड पैकेज में प्रदाय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) की राशि के अभिसरण से विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय किये जाने की आयोजना का क्रियान्वयन।

––00––

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. (आगे मनरेगा कहा जावेगा) की कपिलधारा उपयोजना के तहत निर्मित कूपों के हितग्राहियों को उनकी भूमि की सिंचाई हेतु पानी के उद्वहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये बुंदेलखण्ड पैकेज में प्रदाय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) की राशि के अभिसरण से विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु तैयार की गई आयोजना के क्रियान्वयन हेतु विवरण निम्नानुसार है:–

1. उद्देश्य :– प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र को सूखे की स्थिति के प्रभाव से बचाने के लिये, सिंचाई सुविधाओं के विकास के माध्यम से भूजल स्तर मे सुधार लाने, तथा ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों की कृषि उत्पादन में वृद्धि से आजीविका सुदृढ़ करने के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बुंदेलखण्ड पैकेज सहायता राशि स्वीकृत की गई है। मनरेगा के जलसंरक्षण एवं जल संवर्द्धन संवर्ग के तहत कपिलधारा उपयोजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, इन्द्रिरा आवास योजना के परिवार, भूमिसुधार लघु एवं सीमान्त वर्ग के कृषकों के निजी स्वामित्व की भूमि में सिंचाई की प्रसुविधा दिये जाने हेतु मनरेगा की राशि से कूप निर्माण किया जा रहा है। उपयोजना के अंतर्गत लाभान्वित कृषकों के पास पानी के उद्वहन हेतु पम्प नहीं होने से उनके द्वारा भूमि की सिंचाई हेतु अन्य संपन्न वर्ग के कृषकों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कारण उनकी भूमि की सिंचाई समय पर नहीं होने के कारण कृषि उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मनरेगा से पानी के उद्वहन हेतु पम्प दिये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण बुंदेलखण्ड क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई की प्रसुविधा में आत्मनिर्भर बनाये जाने के उद्देश्य से बुंदेलखण्ड पैकेज की राशि के अभिसरण स विद्युत/डीजल पम्प दिये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित हुई है।
2. कार्यक्षेत्र :– आयोजना का क्रियान्वयन बुंदेलखण्ड क्षेत्र के छः जिलों सागर, दमोह छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ एवं दतिया में किया जाना है।

3. **योजना की अवधि** :— ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त बुंदेलखण्ड पैकेज (ACA) के क्रियान्वयन की अवधि वर्ष 2009—10 से 2011—12 तक रखी गई है। अतः आयोजना का कार्य इन्हीं वित्तीय वर्षों में किया जाना है।

4. **लक्ष्य** :— निम्नलिखित लक्ष्य है :—

4.1 बुंदेलखण्ड क्षेत्र के जिलो से प्राप्त कपिलधारा कूप के निर्माण की भौतिक प्रगति के आधार पर पात्र हितग्राही कृषकों को डीजल/विद्युत पम्प प्रदाय किये जाने का भौतिक एवं उसके विरूद्ध वित्तीय आवंटन का वर्ष 2009—10 से वर्ष 2011—12 तक का जिलेवार लक्ष्य परिशिष्ट **1** पर संलग्न है।

4.2 विषयांतर्गत योजना के वित्तीय लक्ष्य वहां तक सीमित होंगे जहां तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता परिषद् को उपलब्ध कराई जायेगी

5. **वित्तीय व्यवस्था** :— इस आयोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय व्यवस्था बुंदेलखण्ड पैकेज में प्रदाय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) मद में प्राप्त राशि से की जावेगी। इस मद की राशि जिलों को प्रदाय की गई है एव कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के अनुसार जिलो से मांग प्राप्त होने पर समय—समय पर राशि जारी की जावेगी।

5.1 योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां मध्य प्रदेश वित्तीय अधिकारो की पुस्तिका के अनुसार प्राधिकृत सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् ही राशि व्यय की जावे । नियमानुसार स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला उत्तरदायी होंगे ।

5.2 इस राशि से कुओं तक विद्युत लाईन का विस्तार नहीं किया जाये, मात्र डीजल/विद्युत पम्पसेट मय एसेसरीज एवं पाईप ही क्रय किया जाये।

5 3 व्यय बजट आवंटन के अंतर्गत ही किया जाना अनिवार्य है।

6. **वित्तीय प्रबंधन** :— इस आयोजना के अंतर्गत राशि के समायोजन एवं वित्तीय प्रबंधन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किये जावेगें।

7. **हितग्राही एवं चयन प्रक्रिया** :—

7.1 मनरेगा की कपिलधारा उपयोजना के तहत लक्षित वर्ग के ऐसे सभी हितग्राही जिनकी निजी भूमि में कूप निर्माण का कार्य रिचार्जिग सहित पूर्ण हो गया है एवं उनकी भूमि की सिंचाई हेतु कूप मे पर्याप्त मात्रा मे पानी की उपलब्धता है। ऐसे सभी हितग्राही कृषकों या उनके जॉबकार्ड में अंकित सदस्यों के पास पानी के उदवहन हेतु डीजल/विद्युत पम्प नहीं होने पर उन्हें इस योजना के तहत पम्प हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने की पात्रता होगी। आवेदन निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट—1 पर संलग्न है। कपिलधारा कूप के आवेदन करने हेतु पात्र हितग्राही की सूची ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी, साथ ही मुनादी कराई जाकर कृषकों को सूचना उपलब्ध कराई जावेगी।

7.2 ऐसे हितग्राही जिन्हें शासन की अन्य योजनाओं जैसे एसजीएसवाई, अन्त्यव्यवसायी टीएडीपी, या केन्द्रीय कृत योजनाओं इत्यादि से पूर्व में लाभान्वित किया गया है अथवा जिन्होंने स्वयं के संसाधनो से सिंचाई पम्प प्राप्त कर लिए हो, उन्हें इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

7.3 हितग्राहियों को योजना अंतर्गत उपलब्ध कराये गये डीजल/विद्युत पम्पसेट अहस्तान्तरणीय होगा । इसका न तो विक्रय किया जा सकता है और न ही किसी को दान में दिया जा सकता है, ना ही उसे किसी के यहाँ बंधक (गिरवी) रखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पम्पों को क्रय/विक्रय

करता पाया गया तो उसके विरूद्व कार्यवाही की जाए। इस संबंध में लिखित अभिकथन हितग्राहियों से आवेदन पत्र के साथ ही प्राप्त किया जावें।

7.4 ग्राम पंचायत में कण्डिका 6.1 के कूपो की सूची के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कपिलधारा कूप के स्थलों का निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण के समय कूप मे पानी की उपलब्धता के आधार पर सफल अथवा असफल कूप तथा डीजल या विद्युत पम्प में से कौन सा पम्प उपयुक्त रहेगा इस संबंध में भी आकंलन किया जावेगा। निरीक्षण के समय ही संबंधित कृषक से निर्धारित आवेदन ने जानकारी प्राप्त कर सत्यापन की कार्यवाही संलग्न प्रारूप में संपादित की जावेगी। सत्यापन प्रारूप परिशिष्ट–2 संलग्न है।

7.5 हितग्राही कृषकों की जानकारी ग्राम पंचायत सचिव, द्वारा जनपद पंचायत को भेजी जावेगी। जनपद स्तर पर जानकारी संकलित कर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं उपसंचालक, कृषि को हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी में भेजने का दायित्व अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा जनपद पंचायत का होगा।

7.6 जनपद पंचायतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर डीजल/विद्युत पम्प प्रदाय करने हेतु हितग्राहियों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा। जिला स्तरीय समिति का गठन जिला कलेक्टर द्वारा किया जावेगा। जिस समिति में निम्नानुसार सदस्य शामिल किये जावेगें :–

1. जिला कलेक्टर	–	अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	–	उपाध्यक्ष
3. उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	–	सदस्य सचिव,
4. जिला विपणन अधिकारी, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड)	–	सदस्य
5. जिला प्रबंधक, म.प्र. कृषि उद्योग विकास निगम (एम.पी. एग्रो)	–	सदस्य
6. परियोजना अधिकारी, स्वर्ण जंयती, ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)	–	सदस्य
7. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग	–	सदस्य
8. जिला अधिकारी, (DPIP या MPRLP)	–	सदस्य
9. जिला प्रबंधक, अग्रणी बैंक (लीड बैंक मैनेजर)	–	सदस्य
10 संभागीय अभियंता म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी लि.	–	सदस्य
11 जिला फील्ड अधिकारी, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम	–	सदस्य
12 उपसंचालक/सहायक संचालक उद्यानिकी	–	सदस्य

7.7 जिला स्तरीय समिति द्वारा मार्कफेड/एम.पी.एग्रो की सभी अधिकृत कम्पनियों से निगोशियेशन कर अनुमोदित मूल्य के अतिरिक्त "विशेष नगद छूट" का प्रयास किया जावेगा, जिससे हितग्राही को अधिकाधिक लाभ पहुँचाया जा सकें।

7.7.1 डीजल/विद्युत पम्प के संचालन हेतु सामान्यतः अनुमानित सहायक सामग्री ISI मार्क एवं उच्च गुणवत्ता की होगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	डीजल पम्प 5 हार्स पावर	विद्युत पम्प 3 हार्स पावर मोनोब्लाक/कपल्ड	विद्युत पम्प 5 हार्स पावर मोनोब्लाक/कपल्ड
1	सक्शन पाईप 3 इंच-25'	स्टार्टर्स 1 (DOL)	स्टार्टर्स 1 (DOL)
2	डिलेवरी पाईप 2.5 इंच -25'	मेन स्वीच 16 एमपीयर	मेन स्वीच 16 एमपीयर
3	फुटबाल्व 3 इंच 1 नग	फिटिंग मटेरियल 1 सेट	फिटिंग मटेरियल 1 सेट
4	जी.आई बेण्ड 3 इंच 1 नग एवं 2.5 इंच 1 नग	सक्शन पाईप 2.5 इंच- 25'	सक्शन पाईप 3 इंच- 25'
5	निपिल 3 नग (3 इंची 1, 2.5 इंची 1)	डिलेवरी पाईप 2 इंच -25'	डिलेवरी पाईप 2.5 इंच -25'
6	क्लेम्प 3 नग	फुटबाल्व 2.5 इंच 1 नग	फुटबाल्व 3 इंच 1 नग
7		जी.आई बेण्ड 2.5 इंच 1 नग एवं 2 इंच 1 नग	जी.आई बेण्ड 3 इंच 1 नग एवं 2.5 इंच 1 नग
8		निपिल 3 नग (2.5 इंची 1 एवं 2 इंची 2)	निपिल 3 नग (3 इंची 1 एवं 2.5 इंची 3)
9		क्लेम्प 3 नग	क्लेम्प 3 नग

7.7.2 डीजल/ विद्युत पम्प की अनुमोदित दर में हितग्राही कृषक के कूप स्थल पर प्रदाय, स्थापना व पम्प संचालन का प्रदर्शन एवं प्रदर्शन के समय हितग्राही के फोटो का व्यय शामिल रहेगा। इसका सत्यापन प्रदायकर्ता इकाई, हितग्राही कृषक एवं नोडल संस्थायें (मार्कफेड/एम.पी.एग्रो) के जिला स्तरीय प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर से संलग्न प्रारूप में जारी किया जावेगा। संयुक्त कमीशनिंग प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट.... पर संलग्न है। पम्प की स्थापना के समय प्रदाय कर्ता इकाई या उसका प्रतिनिधि पम्प के प्रदर्शन के समय हितग्राही कृषक का फोटो लेगा तथा उसे संयुक्त कमीशनिंग प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करेगा।

7.7.3 हितग्राहियों को पम्पसेट के प्रतिस्थापन पश्चात् एक वर्ष की वारण्टी एवं एक वर्ष का बीमा भी प्राप्त होगा, इसके लिये मार्कफेड/एम.पी.एग्रो आवश्यक कार्यवाही करेंगे। वारण्टी अवधि में पम्प में तकनीकी खराबी आने पर संबंधित हितग्राही द्वारा संबंधित संस्था को सूचित किया जावेगा, जिसके सुधार/मरम्मत की व्यवस्था संबंधित संस्था द्वारा कराई जावेगी। इस संबंध में संस्था द्वारा हितग्राही कृषक को अपनी जिला इकाई का पता एवं दूरभाष नं. उपलब्ध कराया जावेगा।

8. क्रियान्वयन एजेंसियां:- म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड), एम.पी.एग्रो इण्ड.डेव्हल.कार्पो.लि. (एम.पी. एग्रो) के साथ मिलकर इस योजना के अंतर्गत पम्पसेटो की प्रदायगी एवं उनका प्रतिस्थापन संबंधित हितग्राहियों के कुओं पर करेंगे ।

8.1. मार्कफेड एवं एम.पी.एग्रो द्वारा बुंदेलखण्ड के समस्त छः जिलों में जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित जनपद पंचायतों में हितग्राहियों को पम्पसेट प्रदाय किये जावेंगे ।

8.2 इस योजना के अंतर्गत मार्कफेड/एम.पी. एग्रो उनको आवंटित संबंधित जनपद पंचायत स्तर पर अधिकृत कम्पनियों के प्रतिनिधियों को एकत्रित कर कृषको को पम्पसेटो का डिस्प्ले कैम्प में करवायेंगे। यह प्रक्रिया प्रति तीन/छः माह या जब भी आवश्यक हो, पुनः विकासखण्ड स्तर पर कैम्प के रूप में की जावेगी। कैम्प के आयोजन की संबंधित हितग्राहियों को सूचना एवं कैम्प में भाग लेने हेतु प्रेरित करने का दायित्व जनपद पंचायत का होगा। प्रत्येक कैम्प का आयोजन 03 दिवस के लिये किया जावेगा। समय-समय पर कैम्प के आयोजन आदि की व्यवस्था मार्कफेड/एम.पी. एग्रो द्वारा करायी जावेगी । यथा संभव इसी कैम्प में हितग्राही द्वारा चयनित पम्पसेट की जानकारी लिखित में (दो प्रतियों में) ली जावेगी। एक प्रति हितग्राही को दिया जावेगी तथा दूसरी प्रति जनपद पंचायत में संधारित की जावेगी।

9. **अनुदान** :- आयोजना के पात्र कृषकों को अधिकतम अनुदान राशि रू. 20000/- (रू. बीस हजार) की सीमा तक देय होगा। कण्डिका 6.6 के अनुसार पम्प सेट की लागत राशि रू. 20000/- से अधिक होने पर आधिक्य की राशि संबंधित हितग्राही कृषक द्वारा देय होगी। पम्प सेट के चयन उपरांत ही आधिक्य की राशि मार्कफेड/एम.पी.एग्रो के पास हितग्राही द्वारा नगद राशि जमा कर रसीद प्राप्त की जावेगी।

10. **भुगतान व्यवस्था** :-

10.1 पम्पसेट का चयन कृषक द्वारा कैम्प में स्वयं किया जावेगा। चयन किये गये पम्पसेटो को हितग्राहियो को प्रदायगी के लिये जिला पंचायत द्वारा मार्कफेड/एम.पी.एग्रो को सूची प्रदाय की जावेगी। मार्कफेड/एम.पी. एग्रो द्वारा अनुदान से अधिक की राशि हितग्राही कृषक से नगद राशि जमा कराई जावेगी, राशि जमा कराने के उपरांत मार्कफेड/एम.पी. एग्रो द्वारा हितग्राही कृषको की संख्या के आधार पर प्रथम किस्त की अनुदान की 60 प्रतिशत राशि का मॉग पत्र जिला पंचायत को प्रेषित किया जावेगा। जिला पंचायत को मॉग पत्र प्राप्त होने के अधिकतम 07 दिवस में यह राशि संबंधित संस्था को अग्रिम के रूप में अनिवार्य रूप से भुगतान की जावेगी।

10.2 शेष 40 प्रतिशत राशि पम्पसेट के हितग्राही कृषक के कूप स्थल पर प्रतिस्थापन एवं हितग्राही कृषक, नोडल संस्था तथा निर्माता इकाई के प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त कमीशनिंग प्रमाण पत्र के आधार पर जिला पंचायत कार्यालय में देयक प्राप्त होने के पश्चात् अधिकतम 07 दिवस के अन्दर मार्कफेड/एम.पी.एग्रो को भुगतान की जावेगी। चूंकि इस योजना के अंतर्गत निर्माताओ से कैश डिस्काउण्ट प्राप्त किया जाना है, अतः संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संस्थाओं को भुगतान निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से हो जावे।

11. **उद्यानिकी विभाग के साथ अभिसरण (Convergence)**

इस आयोजना के अंतर्गत पात्रता वाले जिन किसानों को डीजल/विद्युत पम्प सेट प्रदाय किये जावेगें, उन्हें कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग आदि द्वारा उनके माध्यम से संचालित योजनाओं में इन हितग्राहियों को स्प्रिंकलर सेट/ड्रिप सेट प्रदाय करने मे प्राथमिकता देने का प्रयास करेगें।

12. **मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण** :— योजना का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जायेगा ।

12.1 इस आयोजना के तहत प्रदाय किये जाने वाले डीजल/विद्युत पम्प सेट की हितग्राही चयन से पम्पसेट प्रदाय उपरांत स्थापना व अनुदान विमुक्ति से संबंधित हितग्राहीवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट .... अनुसार जिला पंचायत मे संधारित पंजी मे रखी जावेगी।

12.2 इस आयोजना के तहत प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट .... अनुसार जिला पंचायत में संधारित की जावें।

12.3 आयोजना के वित्तीय प्रबंधन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट ...... में जिला पंचायत मे संधारित की जावें।

12.4 आयोजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्रतिमाह समीक्षा की जाये एवं कण्डिका 10.2 एवं 10.3 की जानकारी निर्धारित प्रपत्रों में आगामी माह की 05 तारीख तक म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय, भोपाल को आवश्यक रूप से भेजी जावे ।

12.5 प्रत्येक त्रैमासान्त के अंदर हुये व्यय एवं कार्यो की समीक्षा की जाये ।

12.6 कार्य पूर्णता पत्र एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च तक भिजवाना सुनिश्चित किया जावे ।

13. **समयवद्ध क्रियान्वयन** :— आयोजना के क्रियान्वयन संलग्न वार्षिक कलेण्डर के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। परिशिष्ट .... संलग्न है।

14. **प्रचार—प्रसार** :— उक्त आयोजना मे पारदर्शिता एवं हितग्राही को सुलभता से लाभान्वित किया जा सकें इस हेतु आयोजना का प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है। अतएव ग्राम पचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत व अन्य संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर आयोजना की संक्षिप्त जानकारी का विवरण चस्पा कराया जावें।

उपरोक्त निर्देशों का अध्ययन कर पारदर्शिता का ध्यान रखते हुये आयोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल

पृष्ठा. क्र. 6128 / NR-3/Tech / 2010 भोपाल, दिनांक 17 / 06 / 2010

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास तथा सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन , आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, नर्मदा भवन, भोपाल।
6. संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जहॉगीराबाद, भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. पंचानन भवन, मालवीय नगर, भोपाल।
9. संभाग आयुक्त, सागर एवं ग्वालियर संभाग।

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल

परिशिष्ट – 1

Proposed Allocation for Providing Lifting Device

(Amount in Rs. Lakh)

Lifting Device for Dug-wells beneficiary									
S.NO	Name of District	2009-10 Physical	2009-10 Financial	2010-11 Physical	2010-11 Financial	2011-12 Physical	2011-12 Financial	Total Physical	Total Financial
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sagar	701	140.20	3967	793.40	1000	200.00	5668	1133.60
2	Damoh	1858	371.60	3627	725.40	2138	427.60	7623	1524.60
3	Panna	3149	629.80	2765	553.00	2500	500.00	8414	1682.80
4	Chhatarpur	5518	1103.60	4238	847.60	2525	505.00	12281	2456.20
5	Tikamgarh	3764	752.80	3876	775.20	1066	213.20	8706	1741.20
6	Datia	81	16.20	1985	397.00	242	48.40	2308	461.60
	Total	15071	3014	20458	4092	9471	1894	45000	9000

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. की कपिल धारा उपयोजनान्तर्गत डीजल/विद्युत पम्प प्रदाय हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

फोटो कूप हितग्राही

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
जिला–........................

द्वारा :– उचित माध्यम

विषयः– बुंदेलखण्ड पैकेज के तहत मनरेगा की निर्मित कूप से सिंचाई हेतु कपिल धारा उपयोजना अंतर्गत निर्मित कूप से सिंचाई हेतु डीजल/विद्युत पम्प प्रदाय करने बाबत्।

में..वल्द..उम्र.................वर्ष

जाति..............जाति वर्ग................निवासी ग्राम...................ग्राम पंचायत........................

जनपद पंचायत...तहसील......................................

जिला..........................शपथ पूर्वक निम्नानुसार कथन करता हूं।

1. यह कि मेरे निजी/संयुक्त परिवार स्वामित्व की ग्राम..
विकासखण्ड............................प.ह.न......................तहसील..
जिला.................. ....में.......................हेक्टर भूमि है। भूमि का खसरा नं. ....
2. यह कि...वर्ष में कपिल धारा योजना के अंतर्गत निर्मित कूप से सिंचाई हेतु पम्प सेट क्रय करना चाहता हूँ। रू. 20,000 के अनुदान पश्चात जो मूल्य रहेगा उसका अंशदान मै वहन करूंगा।
3. मेरी भूमि पर कुँआ सफल है, जिसमें औसतन पानी की उपलब्धता माह नवम्बर की स्थिति में ....फीट, माह जनवरी में .... फीट एवं माह मार्च की स्थिति में ....फीट रहती है। आवेदन दिनांक .... को .... फीट पानी कूप में उपलब्ध है।
4. मैं घोषणा करता हूं कि मेरे एवं मेरे जॉबकार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों के नाम से मेरे द्वारा पूर्व में किसी भी विभाग/कार्यक्रम, यथा कृषि विभाग, आदिमजाति कल्याण विभाग, जिला पंचायत की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, (SGSY) जिला अन्तव्यवसायी निगम, जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (DPIP), म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना (MPRLP) या अन्य किसी शासकीय योजना से उक्त कपिलधारा कूप से पानी उदवहन हेतु पम्प प्राप्त नहीं हुआ है, एवं पम्प क्रय करने हेतु किसी बैंक या शासकीय संस्था के माध्यम से अनुदान एवं ऋण प्राप्त नहीं हुआ है। यदि उक्त जानकारी गलत पायी जाती है, तब मैं अनुदान की राशि शासन को वापस करने हेतु बाध्य रहूंगा।
5. बुंदेलखण्ड पैकेज के तहत अनुदान की राशि से मैं .... पम्प सेट प्राप्त करना चाहता हूँ जिसका उपयोग मेरे द्वारा विन्दु क्र. 1 पर दर्शित भूमि के

कृ.प.उ.

लिये किया जावेगा। प्राप्त पम्प को मेरे द्वारा किसी को विक्रय, नहीं किया जावेगा, ना ही दान मे दिया जावेगा एवं ना ही किसी के यहाँ बंधक (गिरवी) रखा जावेगा।

6. पम्प एवं उसकी सहायक सामग्री की स्थापना एवं सुरक्षा हेतु यदि कोई सिविल कार्य किये जाने का प्रदायकर्ता इकाई, मार्कफेड/एम.पी. एग्रो द्वारा कोई सुझाव दिया जाता है, तब दिये गये सुझावानुसार पम्प की स्थापना के पूर्व ही आवश्यक कार्य स्वंय के व्यय से करा लूगाँ।

7. पम्प सेट के साथ प्रदाय डिलेवरी पाईप के अलावा सिंचाई हेतु अतिरिक्त पाईप की आवश्यकता होने पर स्वंय के व्यय पर क्रय करूगाँ।

हस्ताक्षर हितग्राही

नाम...
पता/पति..
ग्राम...........................वि.ख..................

कृ.प.उ.

परिशिष्ट –3

सत्यापन

सचिव, ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी, द्वारा कार्यालयीन दस्तावेजों एवं स्थल निरीक्षण दिनांक .... के आधार पर सिंचाई हेतु पम्प सेट प्रदाय की अनुशंसाः–

आवेदक श्री...पिता / पति...जाति..... ....निवासी......................................विकासखंड.. जिला.............................का निवासी है। तथा आवेदक के पास ग्राम...........................में स्वयं / परिवार के सदस्यों के नाम की के खसरा क्रमांक .... रकबा...............................हेक्टर भूमि है।

1. हितग्राही कृषक की भूमि में मनरेगा की कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत कूप निर्माण दिनांक .... को पूर्ण किया गया है। कूप के साथ रिचार्जिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है। कूप में रबी की फसल हेतु पर्याप्त मात्रा मे पानी उपलब्ध रहता है।
2. स्थल की उपयुक्तता के आधार पर कृषक को बुंदेलखण्ड पैकेज (ACA) के तहत ....(विद्युत पम्प 3HP / 5HP एवं डीजल पम्प 5HP मे से) की आवश्यकता है।
3. हितग्राही कृषक के तथा जॉबकार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों के नाम से सिंचाई हेतु डीजल / विद्युत पम्प उपलब्ध नहीं होना पाया गया।
4. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में की गई घोषणा के अनुसार सिंचाई हेतु डीजल / विद्युत पम्प प्रदाय नहीं हुआ है ना ही स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।

इस आधार पर कृषक को योजनान्तर्गत दिये गये प्रावधान अनुसार अनुदान पर .... पम्प सेट क्षमता .... HP प्रदाय की अनुशंसा की जाती है।

ग्राम के कृषक गवाह :–

1...

2...

ग्रामीण कृषि विकास एवं विस्तार अधिकारी
हस्ताक्षर
(नाम एवं पदसील सहित)

सचिव हस्ताक्षर
(नाम एवं पदसील सहित)
ग्राम पंचायत.......... ....

कृ.प.उ.

pump set

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. की कपिलधारा उपयोजना के तहत निर्मित कूपों के हितग्राहियों को सिंचाई हेतु पानी के उद्वहन के लिये बुंदेलखण्ड पैकेज में प्रदाय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) की राशि के अभिसरण से विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय किये जाने के संबंध में

पम्प सेट प्रतिस्थापन (Installation) कमीशनिंग एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र

कृषक का नाम .... पिता/पति का नाम................ .... जाति.. वर्ग.. ग्राम................................ ग्राम पंचायत का नाम .... जनपद पंचायत का नाम .... जिला.......................... के कूप पर कपिलधारा योजनान्तर्गत प्राप्त........HP का डीजल/विद्युत पम्प सेट, मय सहायक सामग्री के कूप पर स्थापित कराया गया/ कूप से पानी निकाल कर बताया गया। ---------HP डीजल/विद्युत पम्प सेट के संचालन, रख–रखाव, आदि की जानकारी दी गई। मेसर्स........... .... द्वारा मार्कफेड/एम.पी. एग्रो के माध्यम रो प्रदाय किये गये .... पम्प सेट क्षमता.................. पम्प सेट का सरल क्र......................... निर्माण वर्ष..................... है। पम्प सेट की स्थापना से मे संतुष्ट हूँ।

प्रदायकर्ता कंपनी/अधिकृत वितरक के प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर कंपनी की सील सहित	मार्कफेड/एम.पी. एग्रो के प्रतिनिधि का नाम एवं हस्ताक्षर, मय सील व दिनांक	कृषक का नाम हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान ग्राम व दिनांक	एक गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर

कृ.प.उ.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0 की कपिलधारा उपयोजना के तहत निर्मित कूपों के हितग्राहियों को सिंचाई हेतु पानी के उद्‌वहन के लिये बुंदेलखण्ड पैकेज में प्रदाय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायक (ACA) की राशि के अभिसरण से विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय किये जाने की आयोजना का प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु स्थल सर्वेक्षण उपरांत पात्र पाये गये आवेदक कृषकों की जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम चयन हेतु तैयार की गई सूची

जिला पंचायत द्वारा संधारित की जाने वाली जानकारी का प्रपत्र

क्र.	हितग्राही कृषक का नाम/ या पिता–पति का नाम	जाति एवं जाति वर्ग	ग्राम एवं ग्राम पंचायत का नाम	कपिलधारा कूप पूर्णता दिनांक	ग्रा.पं. सचिव एवं ग्रा.कृ.वि. अधिकारी (RAEO) का संयुक्त निरीक्षण दिनांक	सिंचाई हेतु भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कूप में पानी एवं स्थल की आवश्यकता के अनुसार पम्प का प्रकार व क्षमता (डीजल/विद्युत पम्पसेट 5HP/3HP या 5HP)	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

भाग – ब

जिला स्तरीय समिति की बैठक में हितग्राहियों का चयन (बैठक दिनांक ...)		जनपदवार आयोजित कैम्प में हितग्राही कृषक द्वारा चयनित पम्पसेट		चयनित पम्पसेट का मार्कफेड/एम.पी. एग्रो द्वारा अनुमोदित कीमत, डिस्काउन्ट राशि, अनुदान एवं अनुदान के उपरांत हित. के अति. अंशदान की स्थिति						जिला पंचायत द्वारा मार्कफेड /एम. पी. एग्रो को जारी प्रथम किश्त का दिनांक	मार्कफेड /एम.पी. एग्रो द्वारा प्रदायकर्ता ईकाई को जारी कार्यादेश क्रमांक व दिनांक	पम्पसेट का प्रदाय स्थापना एवं प्रतिस्थापना का दिनांक	शेष राशि का देयक व संयुक्त प्रतिस्थापना मय फोटोग्राफ्स सहित जिला पंचायत में प्रस्तुत करने का दिनांक	जिला पंचायत द्वारा जारी अंतिम किश्त की राशि का दि.	रिमार्क
पात्र/अपात्र	पम्पसेट प्राप्त व अप्राप्त	कैम्प आयोजन की अवधि दि. ...... से दि. .. तक	पम्पसेट का प्रकार व क्षमता	पम्पसेट की अनुमोदित कीमत	डिस्काउन्ट की राशि	अनुदान	हितग्राही अंश	हित. अंश मार्कफेड या एमपी एग्रो को कृषक द्वारा जमा किया हाँ या नहीं	मार्कफेड /एम.पी. एग्रो द्वारा प्रथम किश्त 60 प्रति. हेतु मांग पत्र का दिनांक						
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0 की कपिलधारा उपयोजना के तहत निर्मित कूपों के हितग्राहियों को सिंचाई हेतु पानी के उद्वहन के लिये **बुंदेलखण्ड पैकेज** में प्रदाय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायक (ACA) की राशि के अभिसरण से विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय किये जाने की आयोजना का प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु स्थल सर्वेक्षण उपरांत पात्र पाये गये आवेदक कृषकों की जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम चयन हेतु तैयार की गई सूची

जनपद स्तर पर संधारित की जाने वाली जानकारी का प्रपत्र

क्र.	हितग्राही कृषक का नाम/ या पिता–पति का नाम	जाति एवं जाति वर्ग	ग्राम एवं ग्रांम पंचायत का नाम	कपिलधारा कूप पूर्णता दिनांक	ग्रा.पं. सचिव एवं ग्रा.कृ.वि. अधिकारी (RAEO) का संयुक्त निरीक्षण दिनांक	सिंचाई हेतु भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कूप में पानी एवं स्थल की आवश्यकता के अनुसार पम्प का प्रकार व क्षमता (डीजल/विद्युत पम्पसेट 5HP/3HP या 5HP)	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

अति. कार्यक्रम अधिकारी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0

कार्यक्रम अधिकारी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0 की कपिलधारा उपयोजना के तहत निर्मित कूपों के हितग्राहियों को सिंचाई हेतु पानी के उद्वहन के लिये **बुंदेलखण्ड पैकेज** में प्रदाय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायक (ACA) की राशि के अभिसरण से विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय किये जाने की आयोजना का प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु स्थल सर्वेक्षण उपरांत पात्र पाये गये आवेदक कृषकों की जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम चयन हेतु तैयार की गई सूची

मार्कफेड/एम.पी. एग्रो द्वारा संधारित की जाने वाली जानकारी का प्रपत्र

क्र.	हितग्राही कृषक का नाम/ या पिता–पति का नाम	जाति एवं जाति वर्ग	ग्राम एवं ग्राम पंचायत का नाम	जनपदवार आयोजित कैम्प में हितग्राही कृषक द्वारा चयनित पम्पसेट		चयनित पम्पसेट का मार्कफेड/एम.पी. एग्रो द्वारा अनुमोदित कीमत, डिस्काउन्ट राशि, अनुदान एवं अनुदान के उपरांत हितग्राही के अतिरिक्त अंशदान की स्थिति						मार्कफेड/एम.पी. एग्रो द्वारा प्रदायकर्ता ईकाई को जारी कार्यादेश क्रमांक व दिनांक	पम्पसेट का प्रदाय स्थापना एवं प्रतिस्थापना का दिनांक	शेष राशि का देयक व संयुक्त प्रतिस्थापना मय फोटोग्राफ सहित जिला पंचायत में प्रस्तुत करने का दिनांक
				केम्प आयोजन की अवधि दि. .... से दि. ..... तक	पम्पसेट का प्रकार व क्षमता	पम्पसेट की अनुमोदित कीमत	डिस्काउन्ट की राशि	अनुदान	हितग्राही अंश	हित. अंश मार्कफेड या एम.पी. एग्रो को कृषक द्वारा जमा किया हाँ या नहीं	मार्कफेड/एम.पी. एग्रो द्वारा प्रथम किश्त 60 प्रति. राशि हेतु मांग पत्र का दिनांक			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

जिला विपणन अधिकारी
म0प्र0 विपणन संघ मर्यादित

जिला प्रबंधक
म0प्र0 राज्य कृषि उद्योग विकास निगम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0 की कपिलधारा उपयोजना के तहत निर्मित कूपों के हितग्राहियों को सिंचाई हेतु पानी के उद्वहन के लिये **बुंदेलखण्ड पैकेज में** प्रदाय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायक (ACA) की राशि के अभिसरण से विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय किये जाने की आयोजना का प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु जिले द्वारा म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को भेजी जाने वाली भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी

(राशि रु. लाख में)

क्र.	जनपद पंचायत	पम्पसेट प्रदाय व स्थापना की भौतिक प्रगति (लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या)						कुल विकसित सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वित्तीय प्रगति				विशेष
		अ.जा.	अ.ज.जा.	लघु	सीमांत	अन्य	योग		कार्यादेश के अनुसार कुल लागत	डिस्काउन्ट की कुल राशि	हित. अंश की कुल राशि	विमुक्त अनुदान की कुल राशि	1. .... पम्पसेट की स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है। 2. .... रुपये की अनुदान की विमुक्ति हेतु मार्कफेड/एम.पी एग्रो से मांग/देयक दिनांक .... को प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्यवाही प्रचलन में है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत ....

परिशिष्ट - 7

भाग - 2

वित्तीय प्रबंधन की जानकारी

(राशि रू. लाख में)

क्र.	जिले का नाम	बुन्देलखण्ड पैकेज ACA मद में 01.04.10 की स्थिति में उपलब्ध राशि	चालू माह तक प्राप्त राशि	कुल राशि (3+4)	कपिलधारा उपयोजना के कूपों में हितग्राही कृषकों डीजल/विद्युत पम्पसेट हेतु ACA मद के अभिसरण से चालू माह तक विमुक्त अनुदान की राशि	जिले में उपलब्ध शेष राशि	राशि कम कर शेष नहीं होने पर अतिरिक्त राशि की मांग हेतु भेजे गये प्रस्ताव का क्रमांक व दिनांक	विशेष
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

लेखाधिकारी
जिला पंचायत

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

बुंदेलखण्ड पैकेज के तहत
महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. की
कपिल धारा उपयोजनान्तर्गत डीजल/विद्युत
पम्प हेतु

क्र.	कार्यो का विवरण	समयसीमा
1	कपिलधारा कूप के पात्र हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर स्थल चयन की कार्यवाही।	15 जून 2010 तक जनपद स्तर पर बैठक आयोजित कर ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्रामीण कृषि विस्तार विकास अधिकारी को जानकारी देना। आयोजन की संक्षिप्त जानकारी ग्राम/जनपद एवं जिला स्तर के संबंधित कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना। 30 जून 2010 तक हितग्राही कृषकों का चयन कर जनपद पंचायत को जानकारी उपलब्ध करावें।
2	ग्राम पचायतों से प्राप्त जानकारी का जनपद स्तर पर संकलन कर जिला पंचायत एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को उपलब्ध कराना।	10 जुलाई 2010 तक।
3	3.1– जिला स्तरीय समिति का गठन करना एवं प्रथम बैठक आयोजित करना।	21 जून 2010 तक
	3.2– जिला स्तरीय समिति द्वारा डीजल/विद्युत पम्प प्रदाय हेतु पात्र हितग्राहियों का चयन हेतु बैठक आयोजित करना।	10 जुलाई 2010 तक
	3.3 निर्गाता ईकाईयों से मार्कफेड की अनुमोदित दरों पर निगोसियशन कर केश डिस्काउन्ट कर राशि का निर्धारण।	
4	जनपद स्तर पर समय–समय पर 03 दिवसीय कैम्प आयोजित कर मार्कफेड/एम.पी. एग्रो में पंजीकृत संस्था/निर्माता/अधिकृत वितरक के डीजल/विद्युत पम्प का प्रदर्शन कराया जाकर हितग्राही कृषकों को पम्प चयन हेतु अवसर प्रदान करना।	प्रथम कैम्प 20 अगस्त 2010 द्वितीय कैम्प 30 अक्टूबर 2010 तृतीय कैम्प 31 दिसम्बर 2010

5	हितग्राही कृषकों द्वारा पम्प सेट के चयन उपरांत डीजल/विद्युत पम्प की सूची तैयार कर मार्कफेड/ एम.पी. एग्रो को उपलब्ध कराना एवं प्रथम किस्त की राशि जारी करना।	प्रत्येक कैम्प आयोजन के एक सप्ताह के भीतर।
6	हितग्राही के स्थल पर पम्प का प्रदाय, स्थापना एवं प्रतिस्थापना की कार्यवाही।	मार्कफेड/एम.पी. एग्रो संस्था के प्रदाय आदेश जारी होने के एक माह के भीतर।
7	संस्थाओं को अंतिम किस्त का भुगतान	संयुक्त प्रतिस्थापना रिपोर्ट के साथ देयक प्रस्तुत होने के 07 दिन के भीतर।
8	प्रत्येक माह की भौतिक प्रगति की रिपोर्ट म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल को भेजना।	माह की 05 तारीख

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. की कपिलधारा उपयोजना के तहत निर्मित कूपों के हितग्राहियों को सिंचाई हेतु पानी के उद्वहन के लिये बुंदेलखण्ड पैकेज में प्रदाय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) की राशि के अभिसरण से विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय किये जाने की आयोजना का प्रचार प्रसार।

----00----

1. **उद्देश्य** :– प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र को सूखे की स्थिति के प्रभाव से बचाने के लिये, सिंचाई सुविधाओं के विकास के माध्यम से भूजल स्तर मे सुधार लाने, तथा ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों की कृषि उत्पादन में वृद्धि से अजीविका सुदृढ़ करने के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बुंदेलखण्ड पैकेज में प्रदाय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) की राशि स्वीकृत की गई है। मनरेगा के जलसंरक्षण एवं जल संवर्द्धन संवर्ग के तहत कपिलधारा उपयोजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, इन्द्रिरा आवास योजना के परिवार, भूमिसुधार लघु एवं सीमान्त वर्ग के कृषकों के निजी स्वामित्व की भूमि में सिंचाई की प्रसुविधा दिये जाने हेतु मनरेगा की राशि से कूप निर्माण किया जा रहा है। उपयोजना के अंतर्गत लाभान्वित कृषकों के पास पानी के उदवहन हेतु पम्प नहीं होने से उनके द्वारा भूमि की सिंचाई हेतु अन्य संपन्न वर्ग के कृषकों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कारण उनकी भूमि की सिंचाई समय पर नहीं होने के कारण कृषि उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मनरेगा से पानी के उद्वहन हेतु पम्प दिये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण बुंदेलखण्ड क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई की प्रसुविधा में आत्मनिर्भर बनाये जाने के उद्धेश्य से बुंदेलखण्ड पैकेज की राशि के अभिसरण से विद्युत/डीजल पम्प दिये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित हुई है।
2. **हितग्राही एवं चयन प्रक्रिया** :–

2.1 मनरेगा की कपिलधारा उपयोजना के तहत लक्षित वर्ग के ऐसे सभी हितग्राही जिनकी निजी भूमि में कूप निर्माण का कार्य रिचार्जिग सहित पूर्ण हो गया है एवं उनकी भूमि की सिंचाई हेतु कूप मे पर्याप्त मात्रा मे पानी की उपलब्धता है। ऐसे सभी हितग्राही कृषकों या उनके जॉबकार्ड में अंकित सदस्यों के पास पानी के उदवहन हेतु डीजल/विद्युत पम्प नहीं होने पर उन्हें इस योजना के तहत पम्प हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने की पात्रता होगी। आवेदन निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। कपिलधारा कूप के आवेदन करने हेतु पात्र हितग्राही की सूची ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी, साथ ही मुनादी कराई जाकर कृषकों को सूचना उपलब्ध कराई जावेगी।

2.2 ग्राम पंचायत में कण्डिका 3.1 के कूपो की सूची के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कपिलधारा कूप के स्थलों का निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण के समय कूप मे पानी की उपलब्धता के आधार पर सफल अथवा असफल कूप तथा डीजल या विद्युत पम्प में से कौन सा पम्प उपयुक्त रहेगा इस संबंध में भी आकंलन किया जावेगा। निरीक्षण के समय ही संबंधित कृषक से निर्धारित आवेदन मे जानकारी प्राप्त कर सत्यापन की कार्यवाही संलग्न प्रारूप में संपादित की जावेगी। सत्यापन प्रारूप परिशिष्ट–2 संलग्न है।

2.3 हितग्राही कृषकों के आवेदन स्थल निरीक्षण उपरांत सत्यापन कर जानकारी ग्राम पंचायत सचिव, द्वारा जनपद पंचायत को भेजी जावेगी। जनपद पंचायत द्वारा जानकारी संकलित कर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं उपसंचालक कृषि को भेजी जावेगी।

2.4 पात्र हितग्राही कृषकों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।

3. म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड), एम.पी.एग्रो इण्ड.डेव्हल.कार्पो.लि. (एम.पी. एग्रो) में पंजीकृत डीजल/विद्युत पम्प सेट के निर्माता इकाईयां या उनके अधिकृत वितरकों द्वारा जनपद पंचायत स्तर पर कैम्प आयोजित कर हितग्राही कृषकों को उनके मनपसंद के पम्प सेट चयन का अवसर प्रदान किया जावेगा।

3.1. जनपद स्तर पर समय समय पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के समन्वय से कैम्प आयोजन कराने का दायित्व मार्कफेड/एम.पी. एग्रो का रहेगा। कैम्पों का आयोजन प्रथम कैम्प, 20 अगस्त 2010, द्वितीय कैम्प 30 अक्टूबर 2010 एवं तृतीय कैम्प 31 दिसम्बर 2010 को प्रस्तावित है।

3.2 कृषकों द्वारा चयनित पम्प सेट (निश्चित सहायक सामग्री सहित) पर बुंदेलखण्ड पैकेज मद से राशि रू. 20000/– तक का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। पम्प सेट की कीमत राशि रू. 20000/– से अधिक होने पर अनुदान राशि कम कर हितग्राही अंश की राशि कृषकों द्वारा मार्कफेड/एम.पी. एग्रो के जिला/जनपद स्तर के कार्यालय मे नगद जमा कर रसीद प्राप्त करेगें

3.3 कृषकों द्वारा पसंद किये गये पम्प सेट प्रदाय किये जाने हेतु मार्कफेड/एम.पी. एग्रो द्वारा प्रदायकर्ता इकाईयों को कार्यादेश जारी कर कृषक के कपिलधारा कूप पर प्रतिस्थापन कराया जावेगा।

3.4 पम्प के संचालन (प्रतिस्थापना) के समय हितग्राही कृषक का पम्प के साथ फोटो लिया जावेगा। सफलता पूर्वक पम्पसेट की स्थापना व संचालन का हितग्राही कृषक, प्रदायकर्ता इकाई एवं मार्कफेड/एम.पी. एग्रो के अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। तदुपरांत ही जिला पंचायत द्वारा हितग्राही कृषक के कपिलधारा कूप स्थल पर पम्प सेट की स्थापना का सफल क्रियान्वयन माना जावेगा।

3.5 हितग्राहियों को योजना अंतर्गत उपलब्ध कराये गये डीजल/विद्युत पम्पसेट अहस्तान्तरणीय होगा । इसका न तो विक्रय किया जा सकता है और न ही किसी को दान में दिया जा सकता है एवं न ही इसे गिरवी रखा जा सकता है । यदि कोई हितग्राही कृषक अथवा उसके परिवार का सदस्य ऐसे पम्पों को क्रय/विक्रय करता पाया गया तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

3.6 उक्त आयोजना में कपिलधारा कूप उपयोजना के सभी पात्र हितग्राहियों को पम्प सेट प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। अतः हितग्राही किसी के प्रलोभन एवं दबाव में न आवे इस की भी जानकारी हितग्राही को दी जावे साथ ही इसका प्रचार प्रसार भी किया जावें।

नोटः– उक्त पम्पलेट ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी, तथा ग्राम के दो प्रमुख स्थलों पर चस्पा किये जावेगें।

जनपद स्तर पर जनपद पंचायत एवं विकासखण्ड स्तर के सभी संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगें

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर एवं जिला पंचायत तथा संबंधित जिला कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगें।